न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 26/2021 तारीख रजू 01.09.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. राकेश शर्मा पुत्र मेघराज शर्मा जाति ब्राहमण (विकेता व मालिक)–फर्म–साक्षी मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार ग्राम कुण्डेरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर निवासी महाजन मौहल्ला ग्राम कुण्डेरा।

...........अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 14.09.2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 08.04.2021 को समय 12.30 पी.एम.पर फर्म–साक्षी मिष्ठान भण्डार मेन बाजार ग्राम कुण्डेरा पर पहॅुचा वहा पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम राकेश शर्मा पुत्र मेघराज शर्मा बताया को आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विकेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य पदार्थ मावा बर्फी काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में लगभग 5 किलो खाद्य वस्तु मावा बर्फी आम जनता को विकय हेतु रखी हुयी थी निरीक्षण करने में मिलावट का सक होने पर मौके पर मौजूद विकेता व दुकान मालिक राकेश शर्मा से स्टील की ट्रे में रखी हुयी खाद्य वस्तु मावा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:13:25 IST
Reason: SelfAttested

बर्फी (मावा,चीनी व पिस्ता निर्मित) में से शुद्वता की जॉ हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी में से 2 किलो मावा बर्फी बाजार भाव से 400 रूपये नगद देकर खरीद की तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त की वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 180 रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ मावा बर्फी के चार चार साफ कॉच की शीशी में बराबर–बराबर भरकर अच्छी तरह बन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–2050 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता राकेश शर्मा ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/1004 दिनांक 10.05.21 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/600/एक्ट/2021/631 दिनांक 19.04.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच व विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी सबस्टेण्डर्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का विक्रय एव निमार्ण

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:13:25 IST
Reason: SelfAttested

कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा घी खुला हुआ सब स्टेण्डर्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी की मिष्ठान भण्डार की दुकान ग्राम कुण्डेरा मे है जिसमें खाद्व सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.2021 को झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी पर एफएसएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है जिसमें खाद्य पदार्थ मावा बर्फी जॉच रिपोर्ट में सबस्टेण्र्ड प्रकृति का पाया गया है प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। भविष्य में ध्यान रखा जावेंगा। अतः प्रार्थी का प्रकरण आज ही न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करने का श्रम करे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/600/एक्ट/2021/631/दिनांक 19.04.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच एवं विक्रय/निमार्ण किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उलघंन किया है जो कि धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के, आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:13:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः अभियुक्त को सब स्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/— रूपये (अक्षरेः दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:13:25 IST
Reason: SelfAttested